


डिक्री बमुकदमें ईब्तादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :-88 आरटीए
प्रकरण संख्या:- 04 / 2026

प्रदीप कुमार पुत्र जगपाल जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया।

बनाम्

1. जगपाल पुत्र राधेराम जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया।
2. प्रेमलता पुत्री राधेराम जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया।
3. रामेती देवी पत्नी जगपाल सिंह जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा तहसील
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया।



-वादी

प्रतिवादीगण

यह राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री राजेश बुढानिया एडवोकेट व मिन जानिब मुदायला प्रति सं. 1 ता 3 श्री परमजीतकौर एडवोकेट एवं राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है किचक 25 एएमपी के खाता संख्या 40/95 जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को 2.024 है. बहिब कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का इसी हद तक हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा।

निज......नल......मुब्लिक......निल......बाबत्......निल......खर्चा मुकदमें के मय शुद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक......अदा करें।
बसब् मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 30.01.2024 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया